संख्या-17/2020/24 ई-2/तेरह-2020-311/2000

प्रेषक,

ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2020

विषयः- वर्ष 2020-21 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का क्रय मूल्य निर्धारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-25453/दो-380/57ए/लाइसेन्स/2020-21/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 06 जनवरी, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2020-21 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु भांग का अधिकतम क्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक	प्रभार का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक भांग आपूर्ति दर (रू0 प्रति किलाग्राम)
1	आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं मिर्जापुर	24/-
2	इलाहाबाद एवं चित्रकूट धाम	20/-
3	प्रदेश के शेष प्रभारों के लिए	19/-

अतः कृपया तदनुसार नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in